राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांकः– एफ 9(05)(12)/पेंशन भौ.सत्या./भामाशाह/सा.न्या.अ.वि/2015–16/4810 जयपुर, दिनांक 08/06/15

परिपत्र

राज्य सरकार की बजट घोषणा 2014–15 (बिन्दु संख्या 188) की अनुपालना में समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभ भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे हस्तान्तरित किए जाने है जिसके लिए विभागीय एवम् भामाशाह डेटाबेस को जोडने के लिए सीडिंग की कार्यवाही समस्त जिलों के द्वारा की जा रही है, जिसे तय समय सीमा (30 जून 2015) में पूरा किया जाना है। विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेशों के क्रम में निम्नांकित दिशा निर्देश पुनः जारी किये जाते हैः–

1. समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थी जिनका भामाशाह में नामांकन हो चुका है, के डेटा को पेंशन वेबसाईट के डेटाबस से जोडने के लिए सीडिंग का कार्य सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक F4 3(138)/RISL/TECH/14/10503 दिनांक 10.02.2015 के अनुसार प्राथमिकता से पूरा किया जावे।
2. समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों, जिनका भामाशाह में नामांकन नहीं हुआ है, के आधार संख्या एवं बैंक खाते सम्बन्धित विवरण शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर विभागीय वेबसाईट के डेटाबेस में जोडे जावें। ऐसे परिवारों को निकट के ई–मित्र केन्द्र पर भामाशाह नामांकन करवाने हेतु प्रेरित करें।
3. ऑनलाईन सीडिंग की कार्यवाही के साथ–साथ जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत/वार्डवार भौतिक सत्यापन, भामाशाह नामांकन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के विभागीय डेटा का मिलान करवाकर विभागीय डेटाबेस में भामाशाह संख्या, आधार संख्या एवं बैंक खाते सम्बन्धित विवरण अंकित किया जावे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाभार्थियों से सम्पर्क कर समयबद्धरूप से उनके भामाशाह नामांकन, आधार संख्या एवं बैंक खातों आदि का विवरण प्राप्त कर विभागीय डेटाबेस में अंकन किया जावे।
4. उपरोक्त वर्णित कार्यों के लिए जिला प्रशासन सम्बन्धित ब्लॉक स्तर/उपखण्ड स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाये ले सकेंगे।
5. किसी भी जिला/ब्लॉक/उपखण्ड से सम्बन्धित आधार, भामाशाह एवं जन–धन योजना में खोले गए बैंक खातों का डेटा सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
6. यथासंभव लाभार्थी का वोटर कार्ड एवं मोबाईल नम्बर आदि लिया जाकर डाटाबेस में अंकित किया जावे, जिससे लाभार्थी को भविष्य में विभिन्न सूचनायें प्रेषित की जा सकें।

(सी.एस. राजन)
मुख्य सचिव

क्रमांकः– एफ 9(05)(12)/पेंशन भौ.सत्या./भामाशाह/सा.न्या.अ.वि/2015–16/4811–46 जयपुर, दिनांक 08/06/15

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव

E:\Ramesh ji\order 1.docx